कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 TC-V माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के अनुक्रम में **वर्ष 2018 में जनपद के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के पदों पर शिक्षण कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति/तैनात किए जाने हेतु रिक्त पदों का विवरण , आवेदन पत्र पूरित किए जाने एवं चयन आदि विषयक हेतु निर्देश :–**

(अ):– **गेस्ट फैकल्टी हेतु ऑनलाईन आवेदन किए जाने से पूर्व निम्नांकित निर्देशों का भलीभॉति अध्ययन कर लें तदोंपरान्त ही अर्ह होने की दशा में सम्बन्धित पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करें** :–

1. मा0 न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षण कार्य लिए जाने हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की गेस्ट फैकल्टी के रूप में व्यवस्था की जानी है। अभ्यर्थियों के द्वारा गेस्ट फैकल्टी हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। अभ्यर्थी जिस **जनपद** में शिक्षण कार्य हेतु इच्छुक हों, उनके द्वारा वरीयता क्रम में जनपदों का विकल्प अंकित किया जायेगा, **अभ्यर्थियों को उनके द्वारा जनपदों हेतु दिए गये विकल्पों में से मैरिट के आधार पर वरीयता क्रम में एक ही जनपद आवंटित किया जायेगा।**
2. महिला शाखा के विद्यालयों में केवल महिला अभ्यर्थी नियोजित किए जाने हेतु पात्र होंगें।
3. आवेदनकर्ताओं का उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।
4. उक्त व्यवस्था के लिए अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु निर्धारित **पदों** हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमों/नियमावली के अनुसार होगी।
5. गेस्ट फैकल्टी के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी ही शिक्षण कार्य हेतु रखे जा सकेंगे जो निर्धारित पद हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमावली यथा सहायक अध्यापक एल0टी0 हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 यथा प्रथम संशोधित–2014 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम हेतु उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता सवंर्ग) नियमावली–2008 के प्राविधानानुसार शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हताधारी हों। सम्बन्धित नियमावलियॉ निदेशालय की विभागीय वैबसाइड **www.schooleducation.uk.gov.in** पर उपलब्ध हैं, **नियमावली में दी गई शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता का अनिवार्यतः भली–भॉति अध्ययन कर अर्हताधारी होने की दशा में ही सम्बन्धित विषय हेतु** ऑन लाईन आवेदन करें।
6. **शासनादेश संख्या–1023/XXIV–नवसृजित/18–32(01)/2013 TC-V माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के प्रस्तर–2(7) के अनुसार जनपद की रिक्तियों के अनुरूप अभ्यर्मियों की मैरिट के अनुसार उनके द्वारा दिए गये विकल्प के आधार पर सूचियाँ व आवेदन का विषयवार विवरण सम्बन्धित जनपदों को प्रेषित किए जाने विषयक कार्यवाही हेतु निदेशालय स्तर पर गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट द्वारा किया जायेगा। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(8) एवं 2(11) के अनुसार जनपद स्तर पर अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन करने के उपरान्त ही नियमानुसार सही पाए जाने पर जनपद स्तर से सम्बन्धित अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटित किया जा सकेगा।**
7. **जनपद** स्तर पर गेस्ट फैकल्टी में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन/विद्यालय आवंटित हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नांकित समिति गठित की जाएगी :–

   (1) जिलाधिकारी – अध्यक्ष

   (2) मुख्य शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव

(3) प्राचार्य डायट — सदस्य
(4) जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) — सदस्य

समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोई सदस्य न होने पर जिलाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति का कोई अधिकारी नामित किया जाएगा, जो कि न्यूनतम समूह "क" स्तर का हो।

अभ्यर्थियों का चयन निम्नांकित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा :–

क्र0 सं0	पद	टी0ई0टी0 II / सी0टी0ई0टी0 II	स्नातक के गुणांक	स्नातकोत्तर के गुणांक	अनिवार्य प्रशिक्षण (बी0एड0/एल0टी0/बी0पी0एड0/अन्य जैसी स्थिति हो)		शिक्षण अनुभव के गुणांक	योग
					लिखित	प्रयोगात्मक		
1	एल0 टी0	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	—	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 20	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 20	1 माह– 1 अंक एक शैक्षिक सत्र– 4 अंक (अधिकतम) एक शैक्षिक सत्र से अधिक शैक्षिक सत्रों की सेवा हेतु उक्तानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जायेंगे, शिक्षण अनुभव के अधिकतम 12 अंक देय होंगे।	
2	प्रवक्ता	—	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 20	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 20	1 माह– 1 अंक एक शैक्षिक सत्र– 4 अंक (अधिकतम) एक शैक्षिक सत्र से अधिक शैक्षिक सत्रों की सेवा हेतु उक्तानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जायेंगे, शिक्षण अनुभव के अधिकतम 12 अंक देय होंगे।	

8. अभ्यर्थी द्वारा किसी माह में 15 दिन से अधिक शिक्षण कार्य किए जाने पर एक माह के समतुल्य शिक्षण अनुभव के अंक प्रदान किए जायेंगे, 15 दिन से कम की अवधि में कोई अंक देय नहीं होंगें।

9. मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में पूर्व में कार्यरत गेस्ट टीचर को वरीयता अंक प्रदान किए जाने के दृष्टिगत शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा जो पूर्व में प्रचलित शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुसार पूर्व में राज्य के किसी राजकीय विद्यालय में गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्त रहे हों, को ही दिए जायेंगे, **शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।** एल0टी0 के पद हेतु शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा जो नियमानुसार कक्षा–9 एवं 10 के लिए शिक्षण कार्य

हेतु नियुक्त रहें हों तथा प्रवक्ता पद हेतु शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा जो नियमानुसार कक्षा–11 एवं 12 के लिए शिक्षण हेतु नियुक्त रहे हों।

10. अभ्यर्थियों के द्वारा किए गये ऑनलाईन आवेदन के आधार पर प्राप्त मैरिट सूची का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान किए जाने के उपरान्त ही सही पाये जाने पर जनपद स्तर से सम्बन्धित अभ्यर्थी को विद्यालय आंवटित किया जायेगा। जनपद स्तर पर चयन में प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षण कार्य हेतु अनुबन्धित किया जायेगा। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख, विद्यालय एवं जनपद स्तर पर सुरक्षित रखे जायेंगें।
11. उक्तानुसार शिक्षण कार्य हेतु रखे गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से अनुमन्य होगा तथा प्रतिमाह 1 दिन की दर से आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा, कार्य किए जाने की अवधि का ही वेतन अनुमन्य होगा।
12. ऐसे अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से प्रथम बैच से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अथवा नियमित शिक्षकों की तैनाती के संदर्भ में उससे पूर्व जैसी भी स्थिति हो तक के लिए शिक्षण कार्य हेतु रखे जा सकेंगें, निर्धारित अवधि से पूर्व यदि किसी अभ्यर्थी का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित प्रधानाचार्य की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उसे शिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
13. उक्तानुसार शिक्षण कार्य हेतु रखे गये अभ्यर्थियों का नियमित नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में उन्हें रू0 100–00 (सौ रूपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, जो कि ओथ कमीशनर द्वारा निर्गत हो, प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा।
14. शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक निर्गत हों मान्य होंगे। जाति एवं अन्य प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हों।
15. यदि किसी अभ्यर्थी का कोई भी शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव/जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसका अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक वाद योजित किया जायेगा।
16. उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगजन के लिए आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन शासनादेश संख्या–196/XVII–2/2011–29 (स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 के द्वारा चिन्हित पदों में अनुमन्य होगा।

(ब):– गेस्ट फैकल्टी हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया के सन्दर्भ में निर्देश :–

1. आवेदन पत्र भरे जाने से पूर्व उक्तांकित निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन कर लें तदोंपरान्त ही अर्ह होने की दशा में सम्बन्धित पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में जहाँ सम्बन्धित परीक्षा के पूर्णांक एवं प्राप्तांक अंकित किए जाने हैं, उन्हें भली भाँति सही–सही अंकित करें।
3. जहाँ सेवा नियमावली में **एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय संस्थान से चार वर्षीय इन्ट्रीग्रेटेड कोर्स यथा Bsc.Ed/ BA.Ed शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता निर्धारित है, ऐसी स्थिति में सम्बन्धित के अभ्यर्थियों के द्वारा स्नातक हेतु निर्धारित कालम में उक्त चार वर्षीय इन्ट्रीग्रेटेड कोर्स में प्राप्त किए गये कुल अंक तथा कुल पूर्णांक अंकित किए जायेंगें।**

यदि उक्त चार वर्षीय इन्ट्रीग्रेटेड कोर्स का परीक्षाफल लिखित, प्रयोगात्मक एवं अन्य भागों (यथा शिक्षण आदि) में प्रदर्शित किया गया हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रशिक्षण अर्हता के अन्तर्गत लिखित एवं प्रयोगात्मक हेतु निर्धारित कॉलम में उक्त चार वर्षीय इन्ट्रीग्रेटेड कोर्स में प्राप्त किए गये कुल अंक तथा कुल पूर्णांक पृथक–पृथक अंकित किए जायेंगें।

4. जहॉ सेवा नियमावली में बी0एड0/बी0पी0एड0 आदि प्रशिक्षण अर्हता निर्धारित है यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संस्थानों से, ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त किए गये हैं, जिनके **परीक्षाफल लिखित, प्रयोगात्मक एवं अन्य भागों (यथा शिक्षण आदि) में प्रदर्शित किया गया हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रशिक्षण अर्हता के अन्तर्गत लिखित एवं प्रयोगात्मक हेतु निर्धारित कॉलम में उक्त प्रशिक्षण में प्राप्त किए गये कुल अंक तथा कुल पूर्णांक पृथक–पृथक अंकित किए जायेंगें।**

5. स0अ0एल0टी0 कला हेतु कोई अभ्यर्थी जो नियमावली के अनुरूप ड्राईंग एण्ड पेंटिग/फाईन आर्ट से स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो, किन्तु बी0एड0 प्रशिक्षण/एल0टी0 प्रशिक्षण अर्हताधारी न हो, ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा **प्रशिक्षण अर्हता के अन्तर्गत लिखित एवं प्रयोगात्मक हेतु निर्धारित कॉलम में** उक्त स्नातकोत्तर उपाधि **में प्राप्त किए गये कुल अंक तथा कुल पूर्णांक पृथक–पृथक अंकित किए जायेंगें।**

6. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा अतिरिक्त विषय के रूप में इण्टमीडिएट/स्नातक की परीक्षा पृथक से उत्तीर्ण की गई हो, तो इस विषय के प्राप्तांक/पूर्णांक अतिरिक्त विषय के सम्मुख अंकित किए जांय। अतिरिक्त विषय में प्राप्त किए गये अंकों को मूल परीक्षा के प्राप्तांकों के साथ नहीं जोड़ा जायेगा।

गेस्ट फैकल्टी हेतु जनपदवार विषयवार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् प्रस्तावित है :–

1. स0अ0एल0टी0 सामान्य शाखा :–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विषय जिनमें गेस्ट फैकल्टी से टीचर तैनात किए जाना प्रस्तावित है।								योग
		हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	विज्ञान	सामान्य	कला	व्यायाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नैनीताल	9	4	3	4	8	2	2	3	35
2	अल्मोडा	17	5	2	10	22	2	7	5	70
3	बागेश्वर	8	5	1	4	9	1	8	5	41
4	चम्पावत	4	3	0	4	10	0	7	3	31
5	पिथौरागढ	20	9	3	13	17	2	14	7	85
6	उधमसिंहनगर	5	7	0	6	6	7	2	1	34
	योग :–	**63**	**33**	**9**	**41**	**72**	**14**	**40**	**24**	**296**
1	चमोली	32	7	1	8	3	3	6	4	64
2	उत्तरकाशी	13	8	1	13	2	3	3	2	45
3	हरिद्वार	5	4	0	6	19	16	2	0	52
4	रूद्रप्रयाग	19	7	1	7	2	4	9	11	60
5	पौडी	26	14	1	16	20	5	24	11	117
6	टिहरी	23	11	0	22	11	14	7	3	91
7	देहरादून	7	3	0	4	1	4	2	3	24
योग		125	54	4	76	58	49	53	34	453
	महायोग	**188**	**87**	**13**	**117**	**130**	**63**	**93**	**58**	**749**

2. स0अ0एल0टी0 महिला शाखा :–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विषय जिनमें गेस्ट फैकल्टी से टीचर तैनात किए जाना प्रस्तावित है।									योग
		हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	विज्ञान	सामान्य	कला	व्यायाम	गृह विज्ञान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नैनीताल	2	1	1	0	3	0	0	0	0	7
2	अल्मोडा	2	3	0	0	4	1	0	0	1	11
3	बागेश्वर	1	0	0	1	1	0	1	0	0	4
4	चम्पावत	1	1	0	0	1	1	1	0	0	5
5	पिथौरागढ	1	1	1	1	2	0	0	0	0	6
6	उधमसिंहनगर	4	1	0	3	3	0	1	3	2	17
योग		**11**	**7**	**2**	**5**	**14**	**2**	**3**	**3**	**3**	**50**
1	चमोली	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6
2	उत्तरकाशी	0	1	0	2	0	1	1	0	0	5
3	हरिद्वार	0	0	0	1	3	1	0	0	0	5
4	रूद्रप्रयाग	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
5	पौडी	1	1	0	1	2	1	1	1	0	8
6	टिहरी	1	1	0	2	1	0	0	1	0	6
7	देहरादून	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
योग		**4**	**4**	**0**	**8**	**7**	**4**	**4**	**4**	**0**	**35**
महा योग		**15**	**11**	**2**	**13**	**21**	**6**	**7**	**7**	**3**	**85**

3. प्रवक्ता संवर्ग (सामान्य शाखा) :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	विषय जिनमें गेस्ट फैकल्टी से टीचर तैनात किए जाना प्रस्तावित है।																	योग
		हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान	गणित	जीव विज्ञान	नागरिक शास्त्र	अर्थशास्त्र	इतिहास	भूगोल	समाज शास्त्र	शिक्षा शास्त्र	कला	सैन्य विज्ञान	वाणिज्य	कृषि	
1	चमोली	50	56	12	16	44	36	32	58	54	15	52	2	2	1	1	2	-	**433**
2	देहरादून	15	9	1	6	13	16	11	9	9	2	7	-	-	1	-	-	1	**100**
3	रूद्रप्रयाग	31	30	3	16	30	32	22	22	31	6	8	2	1	1	-	-	-	**235**
4	टिहरी	83	64	8	16	38	29	36	61	73	15	38	3	1	2	-	4	-	**471**
5	पौड़ी	81	50	10	36	45	56	43	62	76	26	32	10	3	1	-	2	1	**534**
6	उत्तरकाशी	14	26	4	9	24	5	10	24	23	8	11	1	-	-	-	2	-	**161**
7	हरिद्वार	2	1	-	2	4	5	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	**21**
8	पिथौरागढ़	76	59	36	54	44	35	45	57	64	23	40	7	-	2	-	1	-	**543**
9	चम्पावत	34	22	18	16	12	11	12	23	28	7	17	5	-	-	-	1	1	**207**
10	बागेश्वर	33	24	24	23	29	12	21	31	27	18	9	6	-	1	-	1	-	**259**
11	नैनीताल	26	22	4	15	18	18	17	24	26	6	20	4	-	-	-	-	-	**200**
12	अल्मोड़ा	57	58	43	53	40	29	50	67	53	25	19	19	2	1	-	-	1	**517**
13	ऊधमसिंहनगर	3	1	1	5	3	2	1	4	4	2	2	-	-	-	-	-		**28**
महायोगः–		**505**	**422**	**164**	**267**	**344**	**286**	**304**	**442**	**469**	**154**	**255**	**60**	**9**	**10**	**1**	**13**	**4**	**3,709**

4. <u>प्रवक्ता संवर्ग (महिला शाखा)</u> :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	विषय जिनमें गेस्ट फैकल्टी से टीचर तैनात किए जाना प्रस्तावित है।																योग
		हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान	गणित	जीव विज्ञान	नागरिक शास्त्र	अर्थशास्त्र	इतिहास	भूगोल	समाज शास्त्र	शिक्षा शास्त्र	कला	मनोविज्ञान	गृह विज्ञान	
1	चमोली	2	2	4	0	3	4	2	5	4	1	2	0	0	0	0	0	**29**
2	देहरादून	1	1	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	**8**
3	रूद्रप्रयाग	2	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**7**
4	टिहरी	0	0	0	4	6	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
5	पौड़ी	3	3	1	4	4	3	4	0	7	1	2	1	0	0	0	0	**33**
6	उत्तरकाशी	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**7**
7	हरिद्वार	4	5	1	0	4	1	6	1	2	2	0	0	0	1	0	0	**27**
8	पिथौरागढ़	6	3	4	4	7	1	7	2	1	6	0	0	0	1	1	3	**46**
9	चम्पावत	4	5	2	2	2	2	4	1	4	0	3	0	0	1	3	0	**33**
10	बागेश्वर	3	1	5	0	4	1	2	4	4	1	1	1	0	0	0	1	**28**
11	नैनीताल	6	2	3	3	0	0	2	5	4	2	1	2	0	0	0	1	**31**
12	अल्मोड़ा	5	5	9	9	6	0	2	7	4	7	3	1	0	0	0	1	**59**
13	ऊधमसिंहनगर	4	4	2	8	1	0	4	6	2	2	4	2	0	0	0	3	**42**
महायोगः–		**41**	**35**	**32**	**36**	**38**	**13**	**38**	**32**	**36**	**24**	**16**	**7**	**1**	**3**	**4**	**11**	**367**